भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-4089
दिनांक 19 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

एसएमएनपी के अंतर्गत स्मार्ट मीटर लगाया जाना

4089. श्री राजा राम सिंहः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश भर में वर्ष 2014 में शुरू किए गए सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल (एसएमएनपी) के अंतर्गत पुराने पारंपरिक मीटरों के स्थान पर स्मार्ट मीटर लगाने संबंधी और वर्ष 2025 तक इसे प्राप्त करने के लक्ष्य संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त योजना के कार्यान्वयन के संबंध में कोई अध्ययन/आकलन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार को स्मार्ट मीटर नहीं लगाए जाने, बिजली के बिल और रिचार्ज संबंधी मुद्दों के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उक्त मुद्दों के समाधान हेतु क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (ग) : वर्ष 2014 से, एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस), दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), प्रधानमंत्री विकास पैकेज (पीएमडीपी), राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन (एनएसजीएम), संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) और राज्य स्कीमों के तहत स्मार्ट मीटर लगाने का काम किया जा रहा है। लगाए गए स्मार्ट मीटरों का विवरण **अनुबंध** पर दिया गया है।

यह भी उल्लेख किया जाता है कि स्मार्ट मीटर डीएलएमएस/सीओएसईएम (डिवाइस लैंग्वेज मैसेज स्पेसिफिकेशन/एनर्जी मीटरिंग के लिए कंपेनियन स्पेसिफिकेशन) प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं जो मीटरिंग डिवाइस और यूटिलिटी प्रणालियों के बीच डेटा एक्सचेंज के लिए एक अनुकूल मानक फ्रेमवर्क है। स्मार्ट मीटर के लिए भारतीय मानक आईएस 16444 और इसका कंपेनियन मानक आईएस 15959 डेटा एक्स्चेंज के लिए एप्लिकेशन लेयर के लिए डीएलएमएस/सीओएसईएम प्रोटोकॉल को अपनाने को संदर्भित करता है।

वितरण यूटिलिटीज़ अर्थात डिस्कॉम/विद्युत विभागों की प्रचालन क्षमता और वित्तीय स्थिरता में सुधार करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता देने के लिए शुरू की गई आरडीएसएस के तहत, स्मार्ट मीटरिंग एक प्रमुख पहल है।

प्रारंभ में निविदा और कार्य अवार्ड करने में देरी और तत्पश्चात राज्यों द्वारा संविदा करार पर हस्ताक्षर करने में देरी के कारण स्कीम के तहत स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के कार्यान्वयन में कुछ चुनौतियां थीं।

विद्युत मंत्रालय निविदा, अवार्ड और संस्वीकृत कार्यों की वास्तविक प्रगति की उन्नति पर राज्यों और वितरण यूटिलिटीज़ के साथ नियमित रूप से संपर्क बना रहा है। नोडल एजेंसियां (आरईसी और पीएफसी) किसी भी मुद्दे को हल करने में यूटिलिटीज़ की मदद कर रही हैं। परिणामस्वरूप, कार्यों में तेजी आने लगी है और स्कीम की समयसीमा के भीतर पूरा होने की संभावना है।

स्मार्ट मीटर से संबंधित किसी भी चुनौती/शिकायत के समाधान तथा उनके सुचारू क्रियान्वयन के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:

i. स्मार्ट मीटरों को प्रासंगिक तकनीकी और गुणवत्ता मानकों का पालन करना होगा तथा उनके पास वैध परीक्षण और बीआईएस (भारतीय मानक ब्यूरो) प्रमाणपत्र होने चाहिए।

ii. स्मार्ट मीटरों की रीडिंग को अनियमित आधार पर सत्यापित करने हेतु चेक मीटर लगाने के लिए एडवाइजरी जारी की गई हैं। इसके अलावा, उपभोक्ताओं से शिकायतें मिलने पर अनिवार्य रूप से चेक मीटर लगाए जाने हैं।

iii. विद्युत की खपत की नियमित ट्रैकिंग और सहज रिचार्ज के लिए स्मार्ट मीटर मोबाइल ऐप उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

iv. मंत्रालय ने स्मार्ट मीटरों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है, जिसमें कई रिचार्ज विकल्प प्रदान करने, उपभोक्ता प्रतिक्रिया तंत्र, प्रभावी शिकायत समाधान तंत्र और व्यापक उपभोक्ता जुड़ाव अभियान आदि के प्रावधान शामिल हैं।

लो.स.अतारां.प्र.सं. 4089

अनुबंध

दिनांक 11.12.2024 तक संस्थापित स्मार्ट मीटरों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संस्थापित स्मार्ट मीटरों की संख्या			
		उपभोग	डीटी	फीडर	कुल
1	अंडमान और निकोबार	75,200	-	-	75,200
2	आंध्र प्रदेश	5,19,073	42	946	5,20,061
3	असम	27,58,791	51,494	2,835	28,13,120
4	बिहार	57,61,887	32,296	4,550	57,98,733
5	चंडीगढ़	24,214	-	-	24,214
6	छत्तीसगढ़	6,85,155	23,971	5,239	7,14,365
7	दिल्ली	2,60,000	-	-	2,60,000
8	गुजरात	3,05,686	34,110	-	3,39,796
9	हरियाणा	8,47,467	-	-	8,47,467
10	हिमाचल प्रदेश	2,09,353	647	158	2,10,158
11	जम्मू और कश्मीर	6,33,334	9,963	99	6,43,396
12	केरल	805	-	-	805
13	लद्दाख	55,580	1,745	79	57,404
14	मध्य प्रदेश	15,11,367	10,702	4,126	15,26,195
15	महाराष्ट्र	3,76,663	60,791	26,510	4,63,964
16	मिजोरम	656	-	-	656
17	ओडिशा	4,500	-	-	4,500
18	पंजाब	10,35,614	-	-	10,35,614
19	राजस्थान	6,14,307	-	11,416	6,25,723
20	सिक्किम	4,795	-	153	4,948
21	तमिलनाडु	1,29,641	1,220	-	1,30,861
22	तेलंगाना	8,882	-	-	8,882
23	उत्तर प्रदेश	16,41,433	19,462	21,062	16,81,957
24	उत्तराखंड	629	1,779	2,129	4,537
25	पश्चिम बंगाल	1,40,335	-	-	1,40,335
कुल		1,76,05,367	2,48,222	79,302	1,79,32,891

****